

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 371] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 30, 1969/कार्तिक 8, 1891

No. 371] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 30, 1969/KATIKA 8, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND
CO-OPERATION

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September 1969

S.O. 4435.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government hereby notifies the Seed Testing Laboratory, Indian Agricultural Research Institute, New Delhi, as the Central Seed Laboratory under the said Act, with effect from first day of October, 1969, for the whole of India.

[No. 7(56)/69-Seeds Dev.]

SARAN SINGH, Jt. Secy.

काष्ठ, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितंबर 1969

एस० नो० 4436.—बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार बीज परीक्षण प्रयोगशाला, भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली को एतद्वारा पहली अक्टूबर, 1969 से समस्त भारत के लिये उक्त अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय बीज प्रयोगशाला अधिधीनित करती है ।

[संख्या एक० 7(56)/69-एस० नो०]

शरण सिंह, सम्पूक्त सचिव ।